Csdl-20

HVPN

HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.
(Regd. Office Shakti Bhawan Sector-06 Panchkula)
Corporate Identity Number: U40101HR1997SGC033683
Website: www.hvpn.gov.in

Office of the
Executive Engineer/Transmission System Division,
HVPNL, BTM Road Bhiwani-127021

Off. 01664-242797
email:xentsbhw@hvpn.org.in

To whom may concern
(Undertaking)

Full title of the Project:- Diversion of 0.75047 hectare of forest land in favour of Executive Engineer, HVPNL, Bhiwani for construction of 220 KV D/C line from 765 KV Substation PGCIL Bhiwani to 220 KV S/Stn. Isharwal line (Against Risk Purchase), crossing various strips of projected forest land Under forest Division and district Bhiwani.(Online Proposal No. FP/HR/Trans/55494/2020)

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पौधे काटे जायेंगे और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसान काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 242 और पौधों की संख्या 196 से अधिक नहीं होगी। वृक्षों की कटाई राज्य वन अधिकारी की कड़ी निगरानी में की जाएगी और वृक्षों के पातन में हुए खर्च की राशि, प्रयोक्ता एजेंसी, राज्य वर विभाग को जमा करवाएंगे।
3. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशि जमा कराने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोंनो ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
6. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग्या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
7. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को नहीं बदला जाएगा।
8. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।
9. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाऐगें, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जाऐगी।
10. प्रस्तावित संचरण लाईन के लिए "रास्ते के अधिकार" की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 35 मीटर होगी।
11. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए 3.0 मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जाएगी। परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जाएगा।

CS CamScanner

12. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 4.6 मीटर होना चाहिए। कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जाएगा। बिजली की निकासी बनाए रखने के लिए जब कभी भी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काँट छाँट का कार्य स्थानीय वन मंडल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लियरंस के बलावा अचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी।

14. प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लागत पर पक्षियों को तारो से टकराने से बचाने के लिए उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाईन के उपरी कन्डक्टर पर पक्षी डिफलेकटर (Bird deflectors) लगाएगी।

15. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वर विभाग से विचार–विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख–रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध कराएगी।

16. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराएगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

17. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

18. स्थानांतरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।

19. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

20. कूड़ा कर्कट के निपटान जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।

21. इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह–समाप्ति होगी।

22. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।

23. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होतें है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

24. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वर संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest conservation rules, 2033 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।

Executive Engineer
Transmission System Division
HVPNL, Bhiwani

CS CamScanner

Csdl - 20

HVPN

HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.
(Regd. Office Shakti Bhawan Sector-06 Panchkula)
Corporate Identity Number: U40101HR1997SGC033683
Website: www.hvpn.gov.in

Office of the
Executive Engineer/Transmission System Division,
HVPNL, BTM Road Bhiwani-127021

Off. 01664-242797
email:xentsbhw@hvpn.org.in

To whom may concern
(Undertaking)

Full title of the Project:- Diversion of 0.75047 hectare of forest land in favour of Executive Engineer, HVPNL, Bhiwani for construction of 220 KV D/C line from 765 KV Substation PGCIL Bhiwani to 220 KV S/Stn. Isharwal line (Against Risk Purchase), crossing various strips of projected forest land Under forest Division and district Bhiwani.(Online Proposal No. FP/HR/Trans/55494/2020)

इस मंडल के पास **S-1** अनुमोदन की शर्तो के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नही है।

Executive Engineer
Transmission System Division
HVPNL, Bhiwani

(2)

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHT) ACT, 2006

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE / PROJECT : Diversion of 0.75047 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HVPNL, Bhiwani for construction of 220 KV D/C line from 765 KV substation PGCIL Bhiwani to 220 KV substation Isharwal (Against Risk Purchage), under forest Division & District Bhiwani, Haryana.

As per report received from DFO, Bhiwani

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years period of the 13th day of December 2005 and is located in village having no recorded population of Scheduled tribes, as per the census – 2001 and the census – 2011.

Signature
Dy. Conservator of Forest
BHIWANI
(Dy. Conservator of Forests, Bhiwani)

District Collector
BHIWANI
Signature
(Full name and office seal of the District Collector, Bhiwani)

Deposited into Bank on dated 06-04-2023

AGENCY COPY

Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

: 05-04-2023

...cy Name.	EXECUTIVE ENGINEER HVPNL
...cation No.	6455494691
.../SG File No.	9-HRB194-2021-CHA
...tion.	HARAYANA
...ess.	BTM road BhiwaniBhiwani
...unt(in Rs)	12256132/-

...nt in Words :One Crore Twenty-Two Lakh Fifty-Six and One Hundred and Thirty-Two Rupees Only

...T/RTGS to be made as per following ...ils:

...ficiary Name:	HARAYANA CAMPA
... Code:	UBIN0996335
...o Account No.	150696455494691 valid only for this challan amount
... Name & ...ess:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

...is Challan is strictly to be used for making ...yment to CAMPA by NEFT/RTGS only

...ter making the required payment through chall... ...ter 7 working days, then kindly mail a copy of y... ...nail: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@u... ...03710@unionbankofindia.bank

Executive Engineer
Transmission System Division
HVPNL, BHIWANI

PTO.